Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

तत्काल / तिथिबद्ध

सेवा में,

1. सयुंक्त निदेशक एवं प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0आ0टी0, रोहतक।
2. सभी प्रधानाचार्य / वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (हरियाणा राज्य में)।
3. सभी प्रधानाचार्य / वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला),राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला),(हरियाणा राज्य में) ।

यादि क्रमांक: T-4/Stipend /सामान्य व निःशक्त /2015-16/ 10097
दिनांक: 6/10/16

विषय:– हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संस्थान के दाखिले की कुल स्वीकृत सीटों के 33/1/3 प्रतिशत निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये से कम हो उनके छात्र / छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

आपको निर्देश दिये जाते है कि वर्ष 2016–17 की विवरण पत्रिका के क्र0–17.4 व नोट के अनुसार हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धनता / योग्यता के आधार पर दी जाने वाली छात्रवृति के लिए तुरन्त कार्यवाही करें और सभी संस्थानों में उक्त छात्रवृति के लिए नोटिस बोर्ड पर भी लिखित रूप में नोटिस लगाया जाए।

संलग्नः–उपरोक्त।

Manoj Saini 5/10/16

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–I)
कृतेः निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ0 क्रमांक T-4/PMS/SC/2015-16/ 10098 दिनांक: 6-X-16

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:–

1. संयुक्त निदेशक (योजना)।
2. सभी जिला स्तर के प्रधानाचार्य / नोडल अधिकारी(हरियाणा राज्य में) उक्त अनुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
3. नोडल अधिकारी बैवसाईट (मुख्यालय) वबैसाईट पर डालने हेतु भेजी जाती है।

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण–I)
कृतेः निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

कौशलं बलम्

दस्तकार प्रशिक्षण योजना

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

विवरण पत्रिका

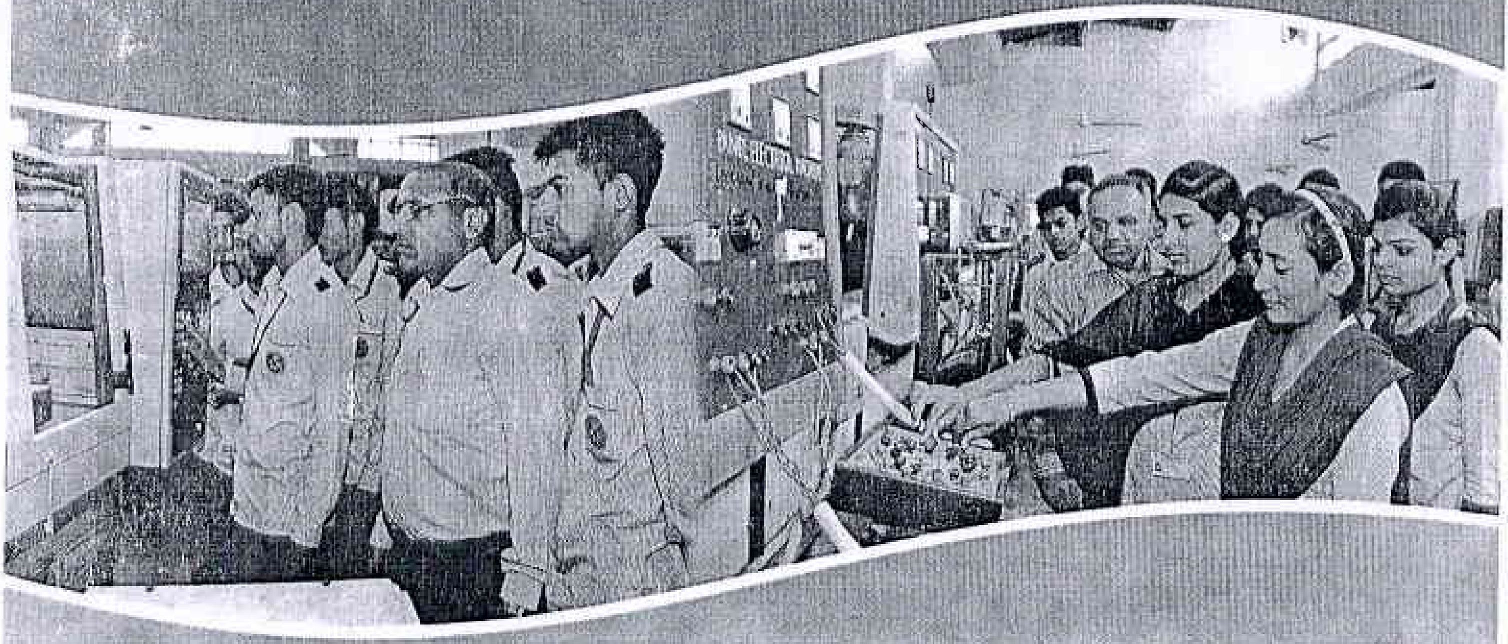

दाखिला सत्र 2016

ऑनलाईन दाखिला फार्म भरने की तारीख:

01.07.2016 से 15.07.2016

ऑनलाईन प्रवेश फार्म भरने के लिए
निम्नलिखित वेब साइट पर जाएँ...

http://www.itihry.com

छात्र/छात्रा के लिये आधार कार्ड बनवाना व आधार बैंक से सीड करवाना भी अनिवार्य होगा। (ऑनलाईन फार्म)

17.1 विभाग के पास उपयुक्त मद में पर्याप्त धन उपलब्ध होने पर सभी प्राईवेट आई0टी0आई0 में दाखिल अनुसूचित जाति के हरियाणा निवासी छात्र/छात्राओं को Post Matric Scholarship Scheme के अन्तर्गत 230/– रू0 प्रतिमास छात्रवृति तथा टयूशन फीस actually paid (maximum upto Rs. 1000/-orwhichever is less) प्रति महीना की दर से टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जा सकती है जिसके लिए छात्र/छात्रा की हाजरी 80 प्रतिशत से अधिक व परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रू0 से कम होनी अनिवार्य है। दाखिल किए गए छात्र/छात्राएं छात्रवृति हेतु *अनुबन्ध 'घ'* पर दिए गए छात्रवृति फार्म को भर कर तथा इसके साथ आय प्रमाण पत्र जो उप–मण्डल अधिकारी (सिविल)/कार्यकारी मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है (ऑनलाईन फार्म)।

17.2 भूतपूर्व सैनिकों को 100/–रू0 प्रतिमास तथा उनके आश्रितों को 40/–रू0 प्रतिमास की दर से छात्रवृति जिला सैनिक बोर्ड द्वारा दी जाती है।

17.3 अल्प संख्यक वर्ग (मुस्लिम, इसाई, जैन, सिख, पारसी एवं बौद्ध धर्म) के योग्य छात्र/छात्राओं को 230/– रू0 प्रतिमास की दर से छात्रवृति व 10,000/– रु तक की टयूशन फीस की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के मापदण्डों के अनुसार दी जाती हैं। इसके लिये परिवार की सालाना आय 2.00 लाख रू0 से कम होनी अनिवार्य है। छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन–पत्र online Director General, Social Justice Empowerment Department Haryana की वैबसाईट पर अपलोड करवांएगे।

17.4 राजकीय संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या के 33.3 प्रतिशत छात्रों को निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर 45/–रू0 प्रतिमास की दर से छात्रवृति दी जाती है। परिवार की सालाना आय 1.00 लाख रू0 से कम होनी अनिवार्य है। दाखिल किए गए प्रार्थी छात्रवृति हेतु अनुबन्ध 'घ' पर दिए गए छात्रवृति फार्म को भर कर तथा इसके साथ आय प्रमाण पत्र जो उप–मण्डल अधिकारी (सिविल)/कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से सत्यापित किया गया हो सलंग्न करके दिनांक 30.9.2015 तक सम्बन्धित संस्थान के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

नोट : उपरोक्त छात्रवृति केवल हरियाणा निवासी छात्र/छात्राओं के लिए है तथा उन्ही को देय होंगी जिनकी हाजरियां प्रत्येक विषय में 80 प्रतिशत प्रत्येक तिमाही में होंगी। छात्रवृति प्रत्येक तिमाही में देय होगी। उपरोक्त छात्रवृति बारे सरकार द्वारा यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह चालू वर्ष में ही लागू कर दिया जाएगा। छात्र/छात्राओं को दाखिल होने के तुरन्त बाद छात्रवृति के लिए आवेदन संस्थान के मुखिया के पास जमा करवाना होगा।

17.5 प्रोत्साहन:

महिलाओं व अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहनार्थ 1000/–रू0 की टूल किट निशुल्क प्रदान की जाती है ।

18 संस्थान का समय

सभी सरकारी व प्राईवेट औ0 प्रशि0 संस्थानों का समय प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक रहेगा। प्रत्येक शनिवार, रविवार व केवल राजपत्रित अवकाश के दिन संस्थान बन्द होंगे। इसके अतिरिक्त सभी कार्य दिवसो को सभी संस्थान खुले रहेंगें।

19 प्रवास सुविधा

उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण होने की स्थिति में छात्रों का प्रवास संस्थान के मुखिया द्वारा एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दूसरे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रिक्त सीटों को मध्यनजर रखते हुए प्रथम समैस्टर के दाखिले उपरान्त अर्थात् 31 अक्तूबर तक किया जा सकता है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ग्रहण कर रही सभी छात्राओं को उपयुक्त एवं पर्याप्त कारण होने की स्थिति में उनका प्रवास प्रथम समैस्टर के दाखिले उपरान्त अर्थात् 31 अक्तूबर तक तथा शेष सभी समैस्टर के प्रथम मास में किया जा सकता है। NCVT व्यवसाय यूनिट में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास NCVT व्यवसाय यूनिट में तथा SCVT व्यवसाय यूनिट में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास SCVT व्यवसाय यूनिट में रिक्त सीटों के प्रति ही किया जा सकता है। मेवात क्षेत्र में स्थित संस्थानों में दाखिल छात्र/छात्राओं का प्रवास केवल मेवात क्षेत्र में स्थित संस्थानों में ही किया